(58)

छत्तीसगढ़ शासन
कृषि(मछलीपालन) विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन,रायपुर

/एफ–11/2/36/2005 रायपुर, दिनांक 15-4-2005

–: परिपत्र :–

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र क. 1877/ एफ–11 / 2/36/2003 दिनांक 18.07.2003 के द्वारा राज्य के मछुआरों के हितार्थ नई मछलीपालन नीति पर विस्तृत "निर्देश पुस्तिका" जारी की गई है ।

राज्य शासन ने उक्त निर्देश पुस्तिका के परिशिष्ठ–2 पर संलग्न 200 हे. से ऊपर के तालाबों के नीलामी की प्रकिया एवं नीति–निर्देश अनुबंध शर्त अंतर्गत नीलामी की शर्तों में निम्नानुसार संशोधन एवं अतिरिक्त प्रावधान जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. कंडिका क. 1 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"सभी नीलामी बोलीदारों को जलाशय की नीलामी हेतु निर्धारित तिथि में 1.00 बजे अपरान्ह तक संबंधित जलाशय हेतु निर्धारित बयाना राशि जमा करनी होगी । आवेदनकर्ता जिनके पूर्व में विभाग की शासकीय राशि (बकाया) हो, ऐसे आवेदनकर्ता को अयोग्य बोलीदार की श्रेणी में सूचीबद्ध कर आवेदन–पत्र प्रदाय नहीं किया जायेगा"।

2. कंडिका क. 2 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"उच्चतम बोलीदार की बोली अपसेट दर से ऊपर होने पर नीलामी समिति की अनुशंसा पर तत्काल नीलामी स्थल पर ही नीलामी जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत कर दी जायेगी । नीलामी प्रकिया अंतर्गत बोलीदार द्वारा बोली गई प्रत्येक बोली रू. 1000/– से कम एवं रू. 50000/– से अधिक नहीं होगी प्रदेश के मछुआ सहकारी समितियों द्वारा उच्चतम बोली, बोली जाती है एवं उसकी बोली मान्य की जाती है तो उसे स्वीकृत नीलामी राशि में अनुबंध निष्पादित करने के समय 10 प्रतिशत छूट दी जावेगी।

नीलामी स्थल पर उच्चतम बोलीदार द्वारा बोली गई प्रथम तीन बोलीदारों को स्वीकृत नीलामी बोली की राशि का 10 प्रतिशत बतौर बयाना राशि नीलामी स्थल पर तत्काल नकद जमा करनी होगी । अन्यथा स्वीकृति के समय उनकी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा"।

3. कंडिका क. 3 तो विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"नीलामी स्वीकृति के उपरान्त बोलीदार को विभाग द्वारा निर्धारित सुरक्षा राशि एवं किश्त राशि, नीलामी स्वीकृति दिनांक से 10 दिवस के अंदर जमा कर अनुबंध करना अनिवार्य होगा, अन्यथा बोलीदार द्वारा नीलामी प्रकिया अंतर्गत पूर्व जमा की गई समस्त प्रकार की राशियां जप्त हो जावेगी" ।

4 कंडिका कमांक 4 को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है ।

5. कंडिका क. 5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"प्रथम सफल बोलीदार नीलामी एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार समयावधि में अनुबंध का निष्पादन नहीं करता है तो उसके द्वारा नीलामी प्रकिया अंतर्गत तथा अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा की गई समस्त प्रकार की राशियां राजसात करते हुए द्वितीय बोलीदार की बोली स्वीकृत की जा सकेगी । द्वितीय बोलीदार द्वारा भी नीलामी एवं अनुबंध की शर्तो के अनुसार समयावधि में अनुबंध निष्पादन नही करने पर उसके द्वारा नीलामी प्रकिया अंतर्गत तथा अनुबंध निष्पादन के पूर्व जमा की गई समस्त प्रकार की राशियां राजसात करते हुए तृतीय बोलीदार हेतु भी उपरोक्तानुसार प्रकिया अपनाई जायेगी" ।

6. कंडिका क. 6 के आगे निम्नानुसार नवीन प्रावधान सम्मिलित किया जाता है –

"निविदाकार को शासन द्वारा निर्धारित साईज एवं वजन की मछली निकालने की सहमति देनी होगी तथा निविदाकार को मत्स्य बीज उत्पादन एवं अनुसंधान कार्यो के लिए मांग अनुरूप मत्स्य प्रजनक निर्धारित शासकीय दर पर आपूर्ति करनी होगी" ।

7. कंडिका क. 7 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है –

"बिना किसी कारण बताये सरकारी बोली से अधिक या कम नीलामी बोली को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर एवं नीलामी समिति को होगा, जो सभी बोलीदार के लिए बंधनकारी होगा । विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर एवं नीलामी समिति द्वारा दी गई टीप एवं अभिमत, सुझावों पर विभागध्यक्ष मत्स्योद्योग विभाग, छ.ग. द्वारा निर्णय लिये जा सकेंगे । स्वीकृत निविदाकार द्वारा संबंधित जलाशय में मत्स्य पालन विकास का कार्य सूचारू रूप से शासन द्वारा जारी नियम निर्देशों के तहत् किये जाने हेतु विभाग में पदस्थ अधिकारी द्वारा समय–समय पर कार्यो का निरीक्षण एवं निर्देश निविदाकार को दिऐ जा सकेगें जिसका पालन निविदाकार को करना होगा । नीलामी हेतु निविदा आवेदन–पत्र/अनुबंध– पत्रक शर्तो आदि संबंधित जिले के विभागीय जिला अधिकारी के कार्यालय से 100/– रूपये का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकेगें । जलाशयों की नीलामी की अवधि अनुबंध की तिथि से 5 वर्ष की होगी । नीलामी अवधि के प्रत्येक वर्ष 15 जून से 15 अगस्त तक में मत्स्याखेट प्रतिबंधित रहेगा जिसका पालन निविदाकार को करना अनिवार्य होगा" ।

शेष सभी प्रावधान यथावत् रहेंगे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एल. अहिरवार)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछलीपालन) विभाग

पृ.क. /एफ–11/2/36/2005 रायपुर, दिनांक 15-4-2005

प्रतिलिपि :– सर्व संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. मुख्य सचिव के स्टाफ ऑफिसर, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, रायपुर
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, कृषि (मछलीपालन) विभाग मंत्रालय, रायपुर
4. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव – पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/महिला एवं बाल विकास विभाग/जल संसाधन/राजस्व विभाग/स्थानीय शासन/ सहकारिता/ अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, मंत्रालय, रायपुर
5. संचालक मत्स्योद्योग, छत्तीसगढ़, रायपुर
6. समस्त कलेक्टर————————————छत्तीसगढ़ शासन
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ———————————— छत्तीसगढ़ शासन

15/4/05

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि (मछलीपालन) विभाग